# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
## (मुख्य अभियंता वा.यो.एवं ग्रा.वि )

जेपीआर 5 – 361

क्रंमाकः जेपीडी / मुअ(वायोएवंग्रावि) / सी–1 / एफ4( 251) IV / प्रे 2146 दिनांक 04-12-06

: आदेश :

विषयः– कृषि श्रेणी के अर्न्तगत( सामान्य श्रेणी (मीटर्ड कोड 4000),फ्लेट रेट (कोड 4100),विशेष श्रेणी,ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के फार्म हाऊस कनेक्शन जिन्हें बिजली की आपूर्ति 24 धंटे लगातार नहीं हो रही हो),घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत कुटीर ज्योति,एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, छोटे घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से तदर्थ आधार पर एवं रियायती दरों पर बिलों का भुगतान स्वीकार करने के सम्बन्ध में ।

पूर्व में निगम द्वारा उपरोक्त विषयान्तर्गत समय–समय पर निम्नलिखित आदेश जारी किये गये थेः–

1. क्रंमाक 1726 दिनांक 12.9.2005 (जेपीआर 5–292)
2. क्रंमाक 2089 दिनांक 11.11.2005 (जेपीआर 5–304)
3. क्रंमाक 2109 दिनांक 17.11.2005 (जेपीआर 5–305)
4. क्रंमाक 652 दिनांक 12.4.2006 (जेपीआर 5–329

उपरोक्त आदेशों के द्वारा कृषि श्रेणी (सामान्य श्रेणी मीटर्ड, कोड – 4000, फ्लेट रेट कोड – 4100,विशेष श्रेणी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के फार्म हाऊस कनेक्शन जिन्हें बिजली की आपूर्ति 24 धंटे लगातार नहीं हो रही हो) से तदर्थ आधार पर भुगतान स्वीकार करने के निर्देश जारी किये थे।राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक18 नवम्बर, 2006 में यह निर्णय लिया है कि उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं से बढी हुई विद्युत दरों के अनुसार बिजली के बिलो का भुगतान नहीं लेना है और नई व पुरानी दरों के अन्तर को राज्य सरकार वितरण कम्पनियों को अनुदान के रूप में अदा करेगी।

इसी तरह पूर्व में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत कुटीर ज्योति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं छोटे घरेलू श्रेणी के वो उपभोक्ता जिनका मासिक खपत 50 यूनिट तक है से रियायती दरों पर बिलो का भुगतान लेने के निर्देश दिये गये थे। राज्य सरकार ने अपने आदेश 18 नवम्बर, 2006 में यह भी निर्णय लिया है कि इन श्रेणियों के लिये नई टैरिफ एवं रियायती दर का अन्तर राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी।

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता बिलों को जारी करने हेतु मुख्य लेखाधिकारी बिलिंग एजेन्सीज को अलग से आदेश जारी करेगें।

आज्ञा से

2.12.2006

(एन.एम.सरीन)

मुख्य अभियन्ता (वा यो.एवं ग्रावि